न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 66/05 (26/04) अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. नोतिया पुत्र दुर्गा

2. धर्मवीर पुत्र रामोतार

जाति यादव वासी नासपुर तहसील बहरोड जिला अलवर

:— प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1. अनची देवी धर्मपत्नि नोतिया जाति यादव वासी नासपुर तह0 बहरोड जिला अलवर ।

:— वादनी रेस्पो0

2. उप पंजीयक बहरोड

:— प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, बहरोड

दिनांक 16.2.2004

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0 :– उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 30.3.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखड अधिकारी, बहरोड द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 148/2002 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक 16.2.2004 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार प्रार्थी वादी ने तहत न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी पैत्रिक है, जिसमें प्रार्थी वादी का भी हिस्सा निहित है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 शराब पीने का आदि है, इसीलिये वह आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है,जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि विवादित भूमि अपीलांट संख्या 01 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । उसे अपना लोन चुकाने एवं घर खर्चा चलाने के लिये भूमि बेचान करने का पूरा अधिकार है । विवादित भूमि में वादनी असल रेस्पो0 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं बनता है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. रेस्पो0 उपस्थित नहीं ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि का हस्तांतरण इन्तकाल नम्बर 185 द्वारा अपीलांट नम्बर 01 ने अपीलांट नम्बर 02 को किया है । चूंकि विवादित भूमि को पैत्रिक बताया गया है । विवादित भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादनी रेस्पो0, जो कि अपीलांट नम्बर 01 की पत्नि है, का हक बनता है अथवा नहीं, यह तो मूल वाद में तय होना है । हम यहां धारा 212 के प्रार्थना पत्र की अपील का निस्तारण कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आराजी को खुर्द बुर्द होने से बचाना एवं पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद को रोकना है । अपीलाधीन आदेश द्वारा मात्र इन्तकाल संख्या 185 का निर्णय मूल वाद के निर्णय तक रोकना है, जो आदेश तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से न्यायोचित था । मूल वाद निर्णित हुआ अथवा नहीं, इसकी जानकारी भी अदालत हाजा को नहीं दी गई है । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2004 यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner